

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 492]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 6 दिसम्बर 2016—अग्रहायण 15, शक 1938

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 6 दिसम्बर 2016

क्र. 31041-वि.स.-विधान-2016.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, 2016 (क्रमांक 25 सन् 2016) जो विधान सभा में दिनांक 6 दिसम्बर, 2016 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २५ सन् २०१६

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, २०१६

विषय-सूची.

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.
२. धारा २ का संशोधन.
३. धारा २० का संशोधन.
४. धारा ५० का संशोधन.
५. धारा ५६ का संशोधन.
६. विधिमान्यकरण.
७. निरसन तथा व्यावृत्ति.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २५ सन् २०१६

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, २०१६

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ को और संशोधित करने तथा भूतलक्षी प्रभाव से इसका विधिमान्यकरण करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अधिनियम, २०१६ है.

(२) यह २६ अप्रैल, १९७३ से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा.

धारा २ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २३ सन् १९७३) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ में,—

(एक) खण्ड (छ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(छ) “विकास योजना” से अभिप्रेत है, धारा १८ तथा १९ के अधीन तैयार तथा क्रियान्वयन में लाई गई योजना;”;

(दो) खण्ड (ण) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(ण-१) “भूखण्ड” से अभिप्रेत है, एक निश्चित आकृति तथा आकार का भूमि का कोई टुकड़ा तथा संचालक द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित हो;”.

धारा २० का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा २० इसकी उपधारा (१) के रूप में क्रमांकित की जाए तथा इस प्रकार क्रमांकित की गई उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

“(२) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई परिक्षेत्रिक योजना उपधारा (१) के अधीन तैयार नहीं की जाती है, वहां पूर्व अधिसूचित और क्रियान्वित या क्रियान्वित की जा रही या अधिसूचित और क्रियान्वित की जाने वाली नगर विकास योजनाओं के लिए अध्याय-सात के अधीन उपबंधित शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग और पालन नगर विकास योजना के अनुसार किया जा सकेगा.”.

धारा ५० का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा ५० में,—

(एक) उपधारा (४) में, शब्द “तथा उपधारा (५) के अधीन गठित समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्” का लोप किया जाए;

(दो) उपधारा (५) और (६) को विलोपित किया जाए.

धारा ५६ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा ५६ में विद्यमान परंतुक में, पूर्ण विराम के स्थान, पर कालन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“परंतु यह और भी कि भूमि के अनिवार्य अर्जन के लिए किसी भी समय पर की गई कोई कार्यवाही या इस धारा के उपबंधों के अनुसार किसी भू-अर्जन कार्यवाही में पारित किसी पंचाट को इस अधिनियम के अधीन की गई कार्यवाही या पारित किया गया पंचाट समझा जाएगा.”.

६. किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस संशोधन अधिनियम के द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई समस्त बातों, कार्यवाहियों और कार्रवाइयों तथा पारित किए गए आदेशों के बारे में यही और सदैव यही समझा जाएगा कि वे विधिमान्यतः की गई हैं या विधिमान्यतः पारित किए गए हैं मानो कि उक्त सक्षम प्राधिकारी ऐसी बातों, कार्यवाहियों और कार्रवाइयों के किए जाने तथा ऐसे आदेशों के पारित किए जाने के लिए सुसंगत संशोधित उपबंधों के अधीन विधिमान्यतः सशक्त किए गए थे और किसी भी ऐसी बात, कार्यवाही, कार्रवाई या आदेश की विधिमान्यता को किसी भी न्यायालय में या किसी भी अन्य प्राधिकारी के समक्ष केवल इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि मूल अधिनियम में इस निमित्त समर्थकारी उपबंधों के बिना समस्त बातें, कार्यवाहियां और कार्रवाइयां की गई थीं और आदेश पारित किए गए थे।

७. (१) मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अध्यादेश, २०१६ (क्रमांक ३ सन् २०१६) एतद्वारा निरसित किया जाता है।

निरसन तथा
व्यावृत्ति।

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ के प्रावधान अन्तर्गत प्रादेशिक योजनायें, विकास योजनायें एवं परिक्षेत्रिक योजनायें तैयार कर प्रभावशील किया जाना प्रावधानित है। विकास योजना के क्रियान्वयन के लिए अधिनियम की धारा ३८ में नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी की स्थापना की जाती है। अधिनियम की धारा ३८(२) में प्रावधानित अनुसार विकास योजना में की प्रस्थापनाओं को कार्यान्वित करने, एक या अधिक नगर विकास स्कीम तैयार करने का कर्तव्य नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी में निहित होता है जबकि धारा-२० के अन्तर्गत परिक्षेत्रिक योजनायें तैयार करने का दायित्व स्थानीय निकाय को सौंपा गया है। अधिनियम की धारा ३८ एवं ५० में नगर विकास स्कीम लिये जाने के पूर्व परिक्षेत्रिक योजना के अंगीकृत होने की कोई पूर्व शर्त उल्लेखित नहीं हैं तथा अधिनियम की धारा ५०(१) में प्रावधानित अनुसार विकास योजना में की प्रस्थापना को कार्यान्वित करने हेतु नगर विकास प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय एक या अधिक नगर विकास स्कीम तैयार करने की घोषणा की जा सकती है। अधिनियम में परिक्षेत्रिक योजनाओं एवं नगर विकास स्कीम के अंतर्संबंध को और अधिक स्पष्ट करने एवं प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही नगर विकास स्कीमों तथा भविष्य में घोषित की जाने वाली नगर विकास स्कीमों के अबाधित कार्यान्वयन हेतु एवं जिन मामलों में अनिवार्य भूमि अधिग्रहण किया जा चुका है उनमें स्पष्टता लाने हेतु यह संशोधन प्रस्तावित है।

२. अधिनियम में विकास योजना की परिभाषा को और अधिक स्पष्ट करते हुये धारा-२ में आवश्यक संशोधन प्रस्तावित किया गया है। भूखंड की परिभाषा भी धारा-२ में सम्मिलित कर भूमि, भूखंड एवं पुनर्गठित भूखंड से स्पष्ट किया जा रहा है।

३. प्राधिकरण की योजनायें वृहद् क्षेत्र की होने के कारण भू-अर्जन के प्रकरणों में लम्बे समय में की गई कार्यवाहियां मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ के उद्देश्यों के लिये की गई मान्य किये जाने हेतु अधिनियम की धारा ५६ में यथा आवश्यक संशोधन प्रस्तावित है।

४. चूंकि मामला अत्यावश्यक था और मध्यप्रदेश विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, अतः मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अध्यादेश, २०१६ (क्रमांक ३ सन् २०१६) इस प्रयोजन के लिये प्रख्यापित किया गया था। अब यह प्रस्तावित है कि उक्त अध्यादेश के स्थान पर बिना किसी उपांतरण के राज्य विधान मंडल का एक अधिनियम लाया जाय।

५. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

भोपाल :

तारीख : २८ नवम्बर, २०१६.

माया सिंह
भारसाधक सदस्य.

अध्यादेश के संबंध में विवरण

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम १९७३ के अन्तर्गत प्रादेशिक योजनायें, विकास योजनायें एवं परिक्षेत्रिक योजनायें तैयार कर प्रभावशील किया जाना प्रावधानित है. अधिनियम की धारा ३८(२) में प्रावधानित अनुसार विकास योजना की प्रस्थापनाओं को कार्यान्वित करने, एक या अधिक नगर विकास स्कीम तैयार करने का कर्तव्य नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी में निहित होता है. जबकि धारा-२० के अन्तर्गत परिक्षेत्रिक योजनायें तैयार करने का दायित्व स्थानीय निकाय को सौंपा गया है. अधिनियम की धारा ३८ एवं ५० में नगर विकास स्कीम लिये जाने के पूर्व परिक्षेत्रिक योजना के अंगीकृत होने की कोई पूर्व शर्त उल्लेखित नहीं हैं तथा अधिनियम की धारा ५०(१) में प्रावधानित अनुसार विकास योजना में की प्रस्थापना को कार्यान्वित करने हेतु नगर विकास प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय एक या अधिक नगर विकास स्कीम तैयार करने की घोषणा की जा सकती है. अधिनियम में परिक्षेत्रिक योजनाओं एवं नगर विकास स्कीम के अंतर्संबंध को और अधिक स्पष्ट करने एवं प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही नगर विकास स्कीमों तथा भविष्य में घोषित की जाने वाली नगर विकास स्कीमों के अबाधित कार्यान्वयन हेतु एवं जिन मामलों में अनिवार्य भूमि अधिग्रहण किया जा चुका है उनमें स्पष्टता लाने हेतु अधिनियम में संशोधन किया जाना आवश्यक था. इसके अतिरिक्त अन्य आनुषंगिक संशोधन भी समीचीन थे.

चूँकि मामला अत्यावश्यक था और मध्यप्रदेश विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, अतः मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अध्यादेश, २०१६ (क्रमांक ३ सन् २०१६) इस प्रयोजन के लिये प्रख्यापित किया गया था.

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.